# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

**पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– 90/2013 (गत नं. 180/2012)

**प्रार्थीगण**

1. रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम
2. हरदेवाराम पुत्र रामेश्वरलाल
3. रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासीगण देऊसर तहसील कुचामनसिटी

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. शंकरलाल पुत्र हरिप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी पांचवा
2. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
3. निरीक्षक भू.अ. कुचामनसिटी
4. पटवारी हल्का पांचवा तहसील कुचामनसिटी

**प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा, नक्शा व गलत खसरा अंकन की गलती के शुद्वीकरण हेतु आवेदन पत्र अ.धा. 212 राज.का.अधि.1955**

**उपस्थित :–श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।**

**श्री बीरमाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1 ओर से।**

**आदेश**

दिनॉकः– 30/1/17

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है उपरोक्त अनुवान का एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अदालत मे जेर तजबीज है, जिसमे वादीगण को पूर्ण सफलता मिलने की उम्मीद है। ग्राम पांचवा की सरहद में स्थित गत खसरा नम्बर 616 में रकबा 35 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 शंकरलाल के कब्जा शुद्व खातेदारी की स्थित रही है। इस भूमि मे स्वयं के खर्चो से नया कुआ बना लिया था, इस भूमि के नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही में नवीन खसरा नम्बर 110 रकबा 0.01 हैक्टर कुआ खसरा नम्बर 111 रकबा 5.66 हैक्टर की किस्म बारानी प्रथम कुल 5.67 हैक्टर कायम हुए है जो वर्तमान में नवीन राजस्व ग्राम देउसर पटवार हल्का पांचवा की सरहद में अंकित है, बिणजारी तलाई से ग्राम चितावा जाने वाला आम रास्ता स्थित है जो वर्तमान मे सड़क मार्ग बन चुका है इस सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ उपर्युक्त भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगणो में जरिये विक्रय पत्र 16.12.06 को अप्राथी नं. 1 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार कृषक इस भूमि पर काबिज है प्रार्थीगण अपनी क्रय शुद्वा इस भूमि अर्द्व निर्मित कुए पर विद्युत पम्प सैट लगाकर विद्युतिकृत किया है, लाखो रूपये खर्च कर भूमि को उपजाऊ बनाकर चाही बनाया है प्रार्थीगण की भूमि के चारो तरफ बाड़ डोल लगा रखी है इस जाव में प्रार्थीगण अपनी सुविधानुसार फसल



उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

बोकर सिंचाई करते आ रहे है। उपर्युक्त भूमि मे कोई सरकारी भूमि नही रही है वादीगण द्वारा उपर्युक्त भूमि जब खरीदी तब जहॉ अप्रार्थी सं. 1 का भौतिक कब्जा रह, वही पर भौतिक कब्जा प्राप्त किया और वही पर निरन्तर काबिज चले आ रहे है। कुछ दिनो से पटवारी हल्का द्वारा कहा जाने लगा कि प्रार्थीगण ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है, इसलिए उन्हे बेदखल करायेगे तथा प्रार्थीगण के जाव के टुकड़े किए जावेगें, तब प्रार्थीगण नक्शा ट्रेस व आवश्यक नकलात प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि मौका के कब्जा की भौतिक स्थिति के विपरीत नीवन भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने उक्त रास्ता के दक्षिणी तरफ अप्रार्थीगण 1 के कब्जा व खातेदारी की भूमि के कुछ भाग की भूमि के नवीन खसरा नम्बर 318/111 केक अंकन की कोई भूमि ही विद्यमान नही है, न ही मौका पर इस खसरा को खसरा नम्बर 111 से अलग करने जैसे कोई अलामात या सीमा न पहले भ्झी नही वर्तमान मे है, नक्शा ट्रेस मे अंकित नवीन खसरा नम्बर 112 की पूर्वी तरफ व नवीन खसरा नम्बर 176, 105 के पश्चिमी तरफ स्थित भूमि व सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ स्थित भूमि नवीन खसरा नम्बर 111 की भूमि है यह भूमि मौके पर 5.67 हैक्टर भूमि ही है इस परिसीमाओ के बीच नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 318/111 की भूमि विद्यमान नही है। प्रार्थीगण की इस भूमि से उत्तरी तरफ रास्ता सड़क नवनी खसरा नम्बर 113, 317/116 की भूमि स्थित है जो करीब साढ़े तेरह बीघा भूमि है उक्त भूमि मौके पर रास्ता व उससे उतरी तरफ की भूमि मौके पर 2.18 हैक्टर है जबकि सरकारी खाते मे 0.40 एवं 0.74 कुल 1.14 हैक्टर ही अंकित कर रखा है तात्पर्य यह है कि मौके पर खसरा नम्बर 113, 317/116 का रकबा 1.14 हैक्टर के बजाय 2.18 हैक्टर विद्यमान है मौके पर नक्शा ट्रेस व रेकर्ड मे नवीन खसरा नम्बर 318/111 का अस्तित्व ही नही है बिना अस्तित्व के भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने नया खसरा नम्बर 318/111 नक्शा व रेकर्ड कायम किया है जबकि नक्शा व रेकर्ड मे नवीन खसरा नम्बर 113, 317/116 का रकबा 2.18 हैक्टर दर्ज करना चाहिए था पर जो कम दर्ज किया गया। नवीन सेटलमेंट की कार्यवाही से पूर्व भी गत खसरा नम्बर 616 के उत्तरी तरफ गत खसरा नम्बर 542 की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित रही है, नवीन भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने नवीन खसरा नम्बर 318/111 को गत खसरा नम्बर 542, 616 का भाग दर्शाते हुए खसरा मिलान बनाया है जो सर्वथा गलत व मौका व गत नक्शा व रेकर्ड के विपरित है, गत नक्शा ट्रेस की स्थिति के विपरीत नवीन खसरा नम्बर 318/111 को नक्शा व रेकर्ड मे कायम किया गया है जो सर्वथा गलत अंकन है, मौके पर नवीन खसरा नम्बर 111 की भूमि व नवीन खसरा नम्बर 113, 317/116 की भूमि गत नक्शा में अंकित गत खसरा नम्बर 616 का ही भाग है, गत खसरा नम्बर 542 की भूमि इस भूमि के नजदीक भी नही है। जहॉ अप्रार्थी नं. 1 काबिज था वही पर प्रार्थीगण काबिज है अगर वादीगण की इस 5.67 हैक्टर भूमि मे प्रार्थीगण के कब्जा व अधिकार में खसरा नम्बर 318/111 की भूमि मानकर के किसी प्रकार का दखल, भू–प्रबन्ध अधिकारियो की गलती से किए गए उपर्युक्त गलत अंकन के आधार पर अप्रार्थी सं. 2 ता 4 डालने में सफल हो गए तो प्रार्थीगण के जायज अधिकारो पर कुठाराघात होगा, प्रार्थीगण के जाव की शक्ल ही बदल जावेगी एवं अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। नवीन नक्शा ट्रेस मे अंकित नवीन खसरा नम्बर 318/111 का अस्तित्व मौके पर नही होने से उक्त गलती का शुद्विकरण किया जाने योग्य है, क्योकि खसरा नम्बर 318/111 का जो रकबा रेकर्ड में दर्शाया गया है व रकबा



उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

मौके पर नवीन खसरा नम्बर 113, 317/116 मे समाहित है इसलिए गांव का रकबा बढ़ जाने का कोई कारण ही नही है खसरा नम्बर 113, 317/116 का रकबा 1.14 हैक्टर के बजाय 2.18 हैक्टर बढ़ाया जाने योग्य है तथा नक्शा मे की गई खसरा नम्बर 318/111 के अंकन को विलोपित कर नक्शा दुरूस्त कर सुधार किया जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे है,सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है मौके पर प्रार्थीगण कीक भौतिक कब्जा व अधिकार की भूमि मे खसरा नम्बर 318/111 की भूमि मानकर बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीगण का वाद हित तो प्रभावित होगा ही बल्कि अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी, प्रार्थीगण के जाव की मौका स्थिति में परिवर्तन होकर तमाम हालात नष्ट हो जावेंगे, आवारा पशुओ जानवरों से प्रार्थीगण की फसल बर्बाद हो जावेगी तथा अनावश्यक मुकदमे बाजी बढ़कर बर्बादी प्रार्थीगण की होगी। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम देऊसर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 5. 66 हैक्टर भूमि मे खसरा नम्बर 318/111 की भूमि मानकर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का दखल प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में नही डाले तथा खसरा नम्बर 112 की पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 176, 105 के पश्चिमी तरफ व सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ प्रार्थीगण की कब्जा काश्त व मौके की यथास्थिति में कोई परिवर्तन अप्रार्थीगण नही करे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद जारी फरमावें ताकि प्रार्थीगण के हित सुरक्षित रह सके ।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं. एक की ओर से श्री बीरमाराम चौधरी अधिवक्ता उपस्थित आये जिन्होने किसी प्रकार का जवाब नही दिया, अप्रार्थी सं. 3 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर वर्तमान में गै.मु. गोचर राजकीय दर्ज है,गोचर राजकीय दर्ज होने से प्रार्थी के पक्ष में कतई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नही है इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा मूल दस्तावेज दावा में प्रस्तुत किये है तथा इनकी छाया प्रतिया प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत की है। वकील एवं राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होन अपने अपने पक्ष में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र मुताबिक रिलिफ के लिए निवेदन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 में ग्राम सरदारपुरा के खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर गोचर दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2010–2013 ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 616 रकबा 348बीघा 17 बिस्वा खारड़ा अलावा जोत नाकाबिल काश्त दज है, नकल खतौनी सम्वत 2030–2033 तक खसरा नम्बर 616 रकबा 277 खारड़ा मिल्कियत राजकीय भूमि जो चराई के लिए उपलब्ध है, नकल खतोनी सम्वत 2033–2036 मे खसरा नम्बर 616 रकबा 210 बीघा गै.मु.खारड़ा दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2037–2040 तक मे खसरा नम्बर 616 रकबा 95 बीघा गै.मु. खारड़ा दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2042–2045 मे खसरा नम्बर 616 रकबा 85 बीघा गै.मु.खारड़ा दर्ज है, नामा.सं.298 की नकल अनुसार शंकरलाल पुत्र हरीप्रसाद शर्मा को 15 बीघा खसरा नम्बर 542 मिन 15 बीघा की गैर



उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

खातेदारी दर्ज हुई, नामा.सं. 450 ग्राम पांचवा के गत खसरा नम्बर 616 मे से 20 बीघा भूमि गैर खातेदारी दर्ज हुई,नामा.सं. 596 से भूमि ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 616/5 रकबा 20 बीघा गैर खातेदार से खातेदारी दर्ज हुई,चालू जमाबन्दी मुताबिक ग्राम देउसर के खसरा नम्बर 110 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 111 रकबा 5.66 हैक्टर कुल रकबा 5.67 हैक्टर शंकरलाल पुत्र हरप्रिसाद कौम ब्राहम्ण सा. पांचवा खातेदार दर्ज है, नामा.23 दिनॉक 12.01.2007 के द्वारा बेचान से सम्पूर्ण खाता पर रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम हि.1/3 हरदेवाराम पुत्र रामेश्वरलाल हि.1/3 रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल हि. 1/3 जाति जाट सा. देह के नाम खातेदारी स्वीकृत हुई। नकल खतौनी सम्वत 2065–2068 मे उक्त भूमि रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम हि.1/3 हरदेवाराम पुत्र रामेश्वरलाल हि.1/3 रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल हि.1/3 जाति जाट के नाम दर्ज चली आ रही है। खसरा नम्बर 318/111 रकबा 10.04 हैक्टर गै.मु.गोचर खसरा नम्बर 317/116 रकबा 0.74 हैक्टर गै.मु.गोचर खसरा नम्बर 113 रकबा 0.40 हैक्टर गै.मु.रास्ता दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस गत एवं चालू नक्शा ट्रेस की नकल का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं प्रार्थना–पत्रो मे अंकित तथ्यो अनुसार प्रार्थीगण की भूमि 5.67 हैक्टर दर्ज चली आ रही है, भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने सहवन से खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर गलत रूप से दर्ज किया गया है, खसरा नम्बर 110 111 का माप करने पर रकबा कम आ रहा है, कम रकबा लगभग 1.04 हैक्टर जो खसरा नम्बर 318/111 में गलत दर्ज किया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बर 318/111 की भूमि पर आज दिन तक कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है जिसम अप्रार्थीगण द्वारा नाजायज तरीक के परेशान किया जा रहा है तथा अलग अलग तरह के प्रकरण दर्ज कर प्रार्थीगण को तंग किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 318/111 की भूमि गलत रूप से गोचर दर्ज कर राजकीय खाते में दर्ज की गई है, प्रश्नगत खसरा नम्बर 110 111 की खातेदारी 5.67 हैक्टर पूर्ण दर्ज है परन्तु नक्शा ट्रेस के मिलान करने पर भूमि कम आ रही है। प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्य एवं उपलब्ध दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनो ही बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है।

## आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साबित होने से स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबंन्द किया जाता है कि ग्राम देऊसर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 111, खसरा नम्बर 318/111 की भूमि मे अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 किसी प्रकार का दखल प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में नही डाले।

आदेश आज दिनॉक ....30/1/17.... को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी (नागौर)